भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 86
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत प्रगति

†*86. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत हुई विस्तृत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है और 6,520 करोड रुपए के कुल परिव्यय (जुलाई 2025 में अतिरिक्त 1,920 करोड़ रुपए सहित) तथा 3,571.57 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के संदर्भ में, कुल 1,134 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं, कितनी परियोजनाएं पूरी की गई या कार्यशील हो गई हैं तथा धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा परियोजना में विलंब, जारी की जाने वाली राजसहायता के लंबित रहने और फसल कटाई के बाद लगातार हो रहे घाटे की स्थिति से निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपचारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु अधिक लक्षित और राजकोषीय दृष्टि से कारगर राजसहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सिफारिशों के अनुरूप बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

दिनांक 05 फरवरी 2026 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रगति" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *86 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की एक अंब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" को लागू कर रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें एफसी) चक्र के लिए पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत कुल परिव्यय ₹ 6520 करोड़ है, जिसमें जनवरी 2022 में प्रारंभ में स्वीकृत ₹ 4600 करोड़ और 31.07.2025 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹ 1920 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय शामिल है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संबंधित उप-योजना के मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाओं से समय-समय पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 18 से 30 महीने तक भिन्न होती है और संबंधित उप-योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद प्रतिपूर्ति आधार पर 2 से 3 किस्तों में धनराशि जारी की जाती है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के अंतर्गत प्रगति/आवश्यकता के अनुसार, 15वें वित्त आयोग चक्र के संशोधित अनुमानों में ₹ 3,489 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 31.12.2025 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1607 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं और शेष 411 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आज तक, पीएमकेएसवाई योजना के तहत 36 परियोजनाओं को ₹130.21 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ मंजूरी दी गई है, और ये सभी परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। इसी वर्ष में, पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं सहित 84 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं, जिनके लिए कुल ₹752.90 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की गई है।

(ख): मंत्रालय घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और स्वीकृत अनुदानों को समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। परियोजना विलंब, सब्सिडी जारी करने में विलंब और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्नलिखित हैं:

(i) मंत्रालय और पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत कार्यरत परियोजना प्रबंधन एजेंसियां (पीएमए) अनुमोदित परियोजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही हैं और परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन और सहायता कर रही हैं।

(ii) परियोजनाओं के सुचारू और समय पर पूरा करने के लिए मंत्रालय और परियोजना प्रबंधन एजेंसियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें, वर्चुअल सत्यापन और परियोजनाओं का भौतिक स्थल निरीक्षण किया जाता है।

(iii) मंत्रालय, पीआईए के अनुरोध पर, सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ भी इस मामले को उठाता है।

(iv) इसके अतिरिक्त, स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीआईए की गंभीरता सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय ने निष्पादन प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी (स्वीकृत अनुदान सहायता/सब्सिडी का 5% की दर से) प्रस्तुत करने का प्रावधान शामिल किया है। परियोजना के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में मंत्रालय द्वारा इसे जब्त किया जा सकता है।

(v) परियोजनाओं के विलंबित होने की स्थिति में प्रमोटरों पर स्वीकृत अनुदान सहायता राशि के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ग): हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए कोई योजना-विशिष्ट सिफारिशें जारी नहीं की हैं, लेकिन सरकार ने पीएमकेएसवाई के तहत कई ऐसे उपाय किए हैं जो आईएमएफ के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जो आईएमएफ की '2024 अनुच्छेद IV परामर्श के लिए स्टाफ रिपोर्ट (संख्या 25/54)' में निहित हैं और लक्षित, पारदर्शी और वित्तीय रूप से कुशल सब्सिडी की वकालत करते हैं।

पीएमकेएसवाई को एक केंद्रीय क्षेत्र की, मांग-आधारित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें वित्तीय सहायता का लक्षित वितरण और वित्तीय दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निधि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है और अनुदान सहायता किस्तों में जारी की जाती है, जो पूरी तरह से प्रतिपूर्ति के आधार पर होती है और संबंधित परियोजना के वास्तविक व्यय और भौतिक प्रगति से जुड़ी होती है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के तहत वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत (35-50%) के आंशिक समर्थन के रूप में प्रदान की जाती है, जो पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत अधिकतम ₹5 करोड़, ₹10 करोड़ और ₹15 करोड़ के अध्यधीन है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है और सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। योजना के दिशानिर्देशों में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन, अनुमोदन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक निश्चित तंत्र है, जिसमें तकनीकी समिति और परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा जांच, आवधिक समीक्षा, क्षेत्र निरीक्षण और तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि पीएमकेएसवाई के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अच्छी तरह से लक्षित, परिणामोन्मुखी और वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण बनी रहे, साथ ही देश भर में खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

*****